

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/45/2014/10-11/5/4108

भोपाल, दिनांक/14-9-23

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग पन्ना,
जिला पन्ना, मध्यप्रदेश।

विषय:-पन्ना जिले के अंतर्गत गझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।
संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्रं. 8-37-2017-FC दिनांक 30.08.2023

—0—

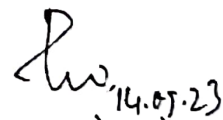
विषयांतर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न है) का अवलोकन करें। भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से निर्देशित किया गया है, कि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय किये 05 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के कारण नेट प्रजेन्ट वैल्यू एवं दाण्डिक नेट प्रजेन्ट वैल्यू की गणना भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 06.01.2022 से जारी नवीन एन.पी.वी. की दरों पर की जाकर आवेदक विभाग से अंतर की राशि आनलाईन कैम्पा मद में जमा करवाई जावे।

प्रकरण में प्रस्तावित वनक्षेत्र की श्रेणी ईको क्लास-3 व घनत्व 0.4 या कम का होने कारण NPV की गणना 6,26,000 प्रति हेक्टेयर की दर से करते हुए पूर्व में नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 26,71,53,638/- एवं दाण्डिक नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 12,52,000/- जमा कराई गई थी।

किन्तु भारत सरकार के निर्देश अनुसार संशोधित दर 9,57,780 प्रति हेक्टेयर से वनक्षेत्र की गणना करते हुए NPV की राशि रुपये 40,87,45,066/- एवं दाण्डिक NPV की राशि रुपये 19,15,560/- कैम्पा मद में जमा करवाई जावे है।

अतः प्रकरण में लेख है, कि उपरोक्तानुसार NPV की अंतर की राशि रुपये 14,15,91,428/- एवं दाण्डिक NPV की अंतर की राशि रुपये 6,63,560/- आनलाईन कैम्पा मद में जमा कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया जावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक/14-9-23

पृ० क्रमांक/एफ-3/45/2014/10-11/5/4109

प्रतिलिपि-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), छतरपुर वृत्त छतरपुर, मध्यप्रदेश।
 2. वनमंडलाधिकारी, सा० दक्षिण/ उत्तर वन मंडल पन्ना, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल